रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-902/2026/781/22-2-2026-17(1379)/2023

लखनऊ: दिनांक: 06 जुलाई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओम प्रकाश (बन्दी संख्या-329/19) पुत्र श्री सुखदीन, निवासी- पाकरगाँव, थाना-मोहनगंज, वर्तमान जनपद-अमेठी, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-29/1984, में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायबरेली के दण्डादेश दिनांक 25.09.1985 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनाक 24.01.2014 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 28.11.2014 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.09.2025 तक अपरिहार 11 वर्ष, 08 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष 01 माह, 08 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-902/2026/781(1)/22-2-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी।
3- पुलिस अधीक्षक, अमेठी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित क्रिमिनल मिस० रिट पिटीशन सं0-5726/2024 ओम प्रकाश शुक्ला उर्फ ओमप्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2026 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।